शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-१५/2017/1155/52-1-2017-28(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 12 जुलाई, 2017**

विषय- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत आई0टी0सेल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-572/अ0सं0क0नि0/एम0एस0डी0पी0/आई0टी0सेलपत्रा0-13नजारत/2016, दिनांक 15.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत आई0टी0सेल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 183.60 लाख (रूपये एक करोड तिरासी लाख साठ हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-जी0आई0-59/52-1-2016-28(एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। उक्त धनराशि से गत् वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु व्यय रू0 27,81,500/-(रूपये सत्ताईस लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) में से योजना में तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों के वेतन पर व्यय कर अवशेष धनराशि रू0 1,55,78,500/-(रूपये एक करोड पचपन लाख अट्ठहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि समर्पित की गयी।

2- योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित की गयी धनराशि रू0 1,55,78,500/-(रूपये एक करोड पचपन लाख अट्ठहत्तर हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित बजट रू0 5,10,00,000/-के सापेक्ष माह अगस्त, 2017 तक व्यय हेतु उपलब्ध बजट रू0 2,12,50,000/- में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों का पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी ।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केनद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना-16-व्यावसायिक तथा विशेष

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1155(1)/52-1-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-11 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in